तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
2–8–2022	**एकल–पीठ** **श्री अविनाश चोधरी, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी । श्री उमेश कुमार, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–3–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। पुनरीक्षण याचिका अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है तहसीलदार वैर द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण सं. 345 दिनांक 5–10–02 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर भरतपुर के यहां अपील प्रस्तुत की। अति0 जिला कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 30–4–2003 द्वारा नामांतरकरण संख्या 345 निरस्त दिया। जिसकी द्वितीय अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां प्रस्तुत की गई। उक्त द्वितीय अपील संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 9–3–06 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि वादगस्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध व सारोकार नहीं था और न ही वह मूल खातेदार केशर के उत्तराधिकारी है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामांतरकरण की अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं था। विवादित आराजी की खातेदार श्रीमति केशर थी जिसके अपने जीवनकाल में ही अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा प्रार्थी के नाम निष्पादित कराया तथा श्रीमति केशर के निधन के पश्चात् तहसीलदार वैर ने प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	रजिस्टर्ड वसियत के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण स्वीकृत किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित नामांतरकरण निरस्त करने का मुख्य आधार पक्षकारान के मध्य चल रही मुकदमेबाजी में पारित स्थगन आदेश बताया। जबकि वक्त स्वीकृत नामांतरकरण कोई स्थगन नहीं था। मात्र कल्पना के आधार पर स्थगन मानते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया गया है। विवादित नामांतरकरण उपखंड अधिकारी बयाना के आदेश से स्वीकृत किया गया है जिसे निरस्त करने का अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर को नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि मुकदमेंबाजी चलने से नामांतरकरण की कार्यवाहीं पर कोई प्रभाव नहीं पडता। ऐसी स्थिति में न्यायालय को स्वीकृत नामांतरकरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यि निर्विवाद तथ्य है कि विवादित आराजी की मूल खातेदार केशर थी जिसे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था और जब तक रजिस्टर्ड वसीयत निरस्त नहीं करा ली जाती तब तक प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। नामांतरकरण स्वीकृति का मूल आधार उपखंड अधिकारी बयाना का आदेश है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अति0 जिला कलेक्टर के श्रवणाधिकार में न आकर अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर के श्रवणाधिकार में होने से चलने योग्य नहीं थी। उपखंड अधिकारी बयाना के आदेश दिनांक 22–9–01 को आज तक चुनौती नहीं दी गई। अतः उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत नामांतरकरण को तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक उपखंउ अधिकारी बयाना का आदेश निरस्त नहीं करा लिया जाता। उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को दोनों अधनीस्थ न्यायालयो ने नजरअदांज करते हुये गैर कानूनी रूप से तथा विधिक प्रावधानों को समझे बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने उपरोक्त तथ्यों का विरोध करते हुये कहा कि विवादित आराजी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	सबंध में प्रस्तुत वाद डिक्री हो चुका है तथा प्रार्थी की अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा खारिज की जा चुकी है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान के तहत मृतक केसर को प्रार्थी के पक्ष में वसीयत करने का अधिकार नहीं था। विवादित भूमि मु0 केसर के पति रघुवीर के उत्तराधिकारियों को ही जायेगी। नामांतरकरण की कार्यवाहीं एक फिसकल कार्यवाहीं है जिसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि नियमित वाद में अप्रार्थीगण को हक हकूक प्राप्त हो चुके है। उनका यह भी कथन है कि उपखंड अधिकारी का आदेश प्रशासनिक आदेश था जिसकी अपील की कोई आवश्यकता नहीं थी और उक्त आदेश प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस आदेश से किसी के अधिकार का सर्जन नहीं होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः पुनरीक्षण याचिका चलने योग्य नहीं है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित भूमि के सबंध में अप्रार्थीगण पक्ष की ओर से उपखंड अधिकारी वैर के न्यायालय में धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थी के विरूद्ध राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था जो आदेश दिनांक 23–4–2005 द्वारा डिक्री कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। जिसकी द्वितीय अपील राजस्व मंडल में विचाराधीन होकर अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। विद्वान अति0 जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय में स्पष्टतः उल्लेखित किया है कि नामांतरकरण स्वीकृति के समय प्राप्त पटवारी रिपोर्ट में स्पष्टतः न्यायालय एडीजे एवं न्यायालय भू प्रबंध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी होने का उल्लेख था। किंतु तहसीलदार वैर द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर ध्यान नही दिया गया तथा नामांतरकरण के वक्त पक्षकारों के मध्य हक हकूको के सम्बंध में वाद विचाराधीन होने तथा स्थगन आदेश होने के तथ्य को नजरअदांज करते हुये तहसीलदार वैर द्वारा नामांतरकरण की कार्यवाहीं की गई। ऐसी स्थिति में अति0 जिला कलेक्टर ने अपील में विवादित नामांतरकरण निरस्त किया है जिसकी पुष्टि न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा भी की गई है। उपखंड अधिकारी बयाना के तथाकथित आदेश दिनांक 22–9–01, जिसकी पालना में प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया जाना बताया गया है, की प्रति किसी पक्ष ने पेश नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत ही समवर्ती निष्कर्ष निर्णय पारित किये गये है। इस एकल पीठ की सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्य सम्बंधी ऐसी कोई अनियमितता/ त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। अतः पुनरीक्षण याचिका खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत पुनरीक्षण याचिका एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अविनाश चौधरी) सदस्य	